न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

केस का प्रकार – **परमीशन अपील वाद सं0–03 / 2021–22**
जिला – राँची मौजा–हरमू (हेहल)

मगदाली बेक एवं अन्य.. वादी।

बनाम

निकोलस बेक एवं अन्य...प्रतिवादी।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
23/11/23	(see below)	

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता उपस्थित है, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष सुना एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदिका / अपीलकर्त्ता मगदाली बेक, पति–स्व0 जोसेफ बेक, पता–हरमू बस्ती, हरमू थाना–अरगोड़ा, जिला–रांची द्वारा न्यायालय लगान वाद उप समाहर्त्ता सदर, रांची द्वारा परमीशन वाद सं0–2490R8II / 2019–20 दिनांक–05.03.2020 निकोलस बेस वगैरह बनाम झारखण्ड सरकार में पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना करते है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
हरमू	206	42	610	9.5डी0

उपरेक्त वर्णित परिमिशन वाद में आदेश के पूर्व माननीय न्यायालय वर्तमान अपीलकर्त्ता को नोटिस नहीं दिया गया न ही उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया जबकि संबंधित भूमि के मालिक अपीलकर्ता है अतः आदेश के पूर्व CNT में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

आवेदिका द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। आवेदक के अनुसार उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर राँची के न्यायालय में परमीशन वाद सं0–2490R8II / 2019–20 दिनांक–05.03.2020 में उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:–

विपक्षी संख्या–1 से 4 के द्वारा विपक्षी संख्या–5 के पक्ष में काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 गलत एवं मिथ्या नाजायज तरीके से याचिकाकर्त्तागण की पैतृक संपत्ति जो कि याचिकाकर्त्तागण के हक व हिस्से की है, को छल एवं कपटपूर्ण तरीके से गलत जानकारी LRDC न्यायालय में देकर 46 परमिषन की प्रमाण पत्र को हासिल किया जिसका परमिषन वाद संख्या–2490 R8II/2019-2020 जो दिनांक 05.03.2020 से संबंधित है। याचिकाकर्त्तागण के जमीन को विपक्षी संख्या–1 से 4 के द्वारा विपक्षी संख्या–5 के नाम 46 परमिषन हासिल किया। यह कि उपर्युक्त संबंधित जमीन मौजा–हरमू, थाना–अरगोड़ा, थाना नं0–206, जिला–रांची, खाता सं0–42, प्लॉट सं0–610, रकबा–9.5 डिसमिल जमीन जो कि पूर्णतः याचिकाकर्त्तागण

याचिकाकर्तागण की हक व हिस्से की जमीन मय भूमि है जिस पर याचिकाकर्तागण अपने पूर्वज स्व0 जोहन बेक के जमाने से ही वंशानुगत तरीके से शांतिपूर्ण तौर पर जीवन व्यतित करते चले आ रहे हैं। याचिकाकर्तागण एवं विपक्षी संख्या–1 से 4 संबंधित जमीन वाक्य मौजा– हरमू, खाता नं0–42, प्लॉट नं0–610, रकबा–90 डिसमिल भूमि में बराबर–बराबर अर्थात 90 डिसमिल का 45 + 45 = 90 डिसमिल भूमि अपने अपने पूर्वज के हक व हिस्से एवं बंटवारा के अनुसार कायम व काबिज रहते हुए याचिकाकर्ता गण अपने हिस्से की 45 डिसमिल भूमि पर रहते चले आ रहे हैं जबकि विपक्षीगण संख्या–1 से 4 के पूर्वज के द्वारा रकबा 45 डिसमिल भूमि पूर्व में ही बिक्रय कर चुके हैं। उनका अब इस प्लॉट पर कोई हक व हिस्सा बाकी नहीं रहा। फिर भी विपक्षीगण संख्या– 1 से 4 के द्वारा गलत तरीके एवं धोखे से 46 परमिशन विपक्षी संख्या–5 के नाम जानबुझ कर गलत तरीके से सत्य को छुपाकर याचिकाकर्ता गण के किराएदार विपक्षी संख्या–5 स्प्रीस्टीना तिर्की के नाम कर दिया जिसकी सूचना तक याचिकाकर्तागण एवं गांव के किसी भी सदस्य को नही मिली जब इसे छुपा कर हासिल किया गया।

विपक्षी संख्या–5 याचिकाकर्ता गण संख्या– 1 से 4 के अपने पति के जमाने से किरायेदार है और याचिकाकर्ता गण के घर पर लोहरदगा से विवाह कर याचिकाकर्तागण के मूल किरायेदार स्व. जॉर्ज विलियम तिर्की के साथ उपर्युक्त जमीन पर याचिकाकर्ता गण के घर पर रहने लगी किन्तु पति के देहांत के उपरांत विगत कई महिनों से किराया नहीं देने के वजह से याचिकाकर्तागण के किराया मांगने के बाद विपक्षी संख्या–5 और याचिकाकर्ता गण के बीच रिश्ते खराब हो गए। इन दोनों के बीच सदर अनुमंडल न्यायालय में केस नं0– 2325/2020 एवं सिविल कोर्ट रांची के न्यायालय में 3451/2021 किराया के विवाद हेतु वाद चला। अनुमंडल न्यायालय वाद संख्या– 2325/2020 एवं परिवार वाद संख्या–3451/2021 याचिकाकर्तागण के विपक्षी संख्या–5 के विरुद्ध न्यायालय में दायर किया गया है जिसकी छायाप्रति इस लिखित बहस के साथ संलग्न की जा रही है जिसे संलग्न संख्या–2 अंकित किया जाए।

विपक्षी संख्या–5 का मंशा अपने मकान के स्वामीगण अर्थात याचिकाकर्ता गण 1 से 4 जमीन मय मकान को किसी भी कीमत में हथियाना था जिस कारण जाली एवं गलत कागजात के आधार पर विपक्षी संख्या–1 से 4 के साथ संपर्क कर साथ में मिली भगत कर जालसाजी कर दूसरे जिले एवं दूसरे थाने से संबंधित होने के बावजूद केवल और केवल याचिकाकर्तागण के संपति को हड़पने उस पर अपना नाजायज कब्जा बनाए रखने हेतु आपस में मिलकर एवं षड्यंत्र कर एवं गलत वंशावली एवं शपथ पत्र के आधार पर जाति आवासीय प्रमाण पत्र बना कर गलत तरीके से भू हस्तांतरण हेतु परमिषन 46 LRDC कार्यालय से जिसका वाद संख्या–2490R8II/2019-2020 दिनांक 05.03.2020 को हासिल किया जो सरासर काष्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का उल्लंघन है एवं कानून के विरुद्ध है जिसे इस लिखित बहस में संलग्न–1 के तहत उपर दिखाया गया है। यह कि विपक्षी संख्या–5 खीस्टीना तिर्की यहां की वर्तमान पते की निवासी कभी नहीं रही। विवाह कर याचिकाकर्ता गण के घर पर किराये पे रह रही थी और तभी रांची आई। तो फिर किस प्रकार जाति आवासीय बनाकर उपर्युक्त परमिशन को जमीन क्रय करने हेतु हासिल की जबकि विपक्षी संख्या–5 इस जिला के मूल निवासी ही

याचिकाकर्तागण की भूमि को उपर्युक्त परमिशन के आधार पर छीनने व लुटने का कार्य किया है।

अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि मुनसफ न्यायालय में याचिकाकर्ता गण की ओर से दायर बंटवारा वाद संख्या– 487/2016 एवं 716/2019 विपक्षीगण संख्या–1 से 4 एवं अन्य के विरुद्ध व अदालत न्यायालय मुनसिफ कोर्ट की वाद पत्र की छायाप्रति इस लिखित बहस के साथ संलग्न संख्या– 3 इस लिखित बहस के साथ दायर की जा रही है जिसे संलग्न संख्या– 3 अंकित कर लिया जाए। यह कि विपक्षीगण संख्या–1 से 4 के द्वारा धोखे एवं जालसाजी से छुप–छुपाकर विपक्षीगण संख्या–5 खीस्टीना तिर्की से मिली भगत कर बुरे मंशा के साथ याचिकाकर्ता गण के हक व हिस्से में प्राप्त भूमि को आपस में मिलकर षड्यंत्र के तहत काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन करते हुए विपक्षीगण संख्या–5 के नाम 46 परमिशन प्राप्त किया जो कि उपर्युक्त कानून का घोर उल्लंघन है। विपक्षी संख्या–5 याचिकाकर्ता गण की जिस भूमि को विपक्षीगण के साथ एवं विपक्षीगण के द्वारा खरीदी है वह वही भूमि है जिसपर याचिकाकर्ता गण आपने पूर्वजों के जमाने से रहते चले आ रहे हैं। अगर परमिशन के लिए ग्रामीण नोटिस निर्गत हुआ होता और याचिकाकर्तागण के घर पर जाता तो स्वतः ही याचिकाकर्तागण के द्वारा उसी समय उपर्युक्त परमिशन पर हस्तक्षेप डाल दिया जाता किन्तु विपक्षीगण के द्वारा गलत तरीके से छुपाकर परमिशन हासिल किया गया है जिस कारण याचिकाकर्तागण को उपर्युक्त परमिशन को रद्द करने के लिए वर्तमान परमिशन अपील श्रीमान के न्यायालय में न्याय प्राप्त हेतु दायर करना पड़ा। यह कि उपर्युक्त तथ्य एवं सार एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर यह पूरी तरह से साबित हो जाता है कि विपक्षीगण संख्या– 1 से 4 के द्वारा जान बुझ कर गलत तरीके से याचिकाकर्तागण के हक व हिस्से की भूमि को न्यायालय में लंबित बंटवारा वाद संख्या– 487/2016 एवं 716/2019 के बावजूद केवल ओर केवल याचिकाकर्तागण की भूमि को हड़पने एवं परेशान करने के लिए विपक्षीगण संख्या–5 खीस्टीना तिर्की के नाम छल–कपट कर छुप छुपाकर धारा 46 के परमिषन को कानून के विरुद्ध जाकर छल एवं कपट के माध्यम से गलत वंशावली के आधार पर जाली जाति आवासीय के बिना पर परमिशन वाद संख्या– 2490R8II/2019-2020 ग्रामीण नोटिस को छुपाकर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के कानून का उल्लंघन कर हासिल किया जो सरासर न्याय के विरुद्ध है और उपर्युक्त परमिशन पूरी तरह से रद्द होने योग्य है। यह कि उपर्युक्त तथ्यों एवं सार और परिस्थितियों के अनुसार न्याय के हित में विधि सम्मत तरीके से विपक्षीगण संख्या– 1 से 4 के द्वारा विपक्षीगण संख्या–5 के पक्ष में किए गए 46 परमिशन को जो कि उपर्युक्त तथ्यों एवं सार से पूरी तरह प्रतीत होता है कि विपक्षीगण के द्वारा गलत एवं नाजायज तरीके से विधि विरुद्ध जाकर विपक्षीगण संख्या–5 के नाम गलत कागजात मसलन जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर उसे स्थानीय दिखाकर एवं एक ही थाना का दिखाकर याचिकाकर्तागण के हक व हिस्से में प्राप्त भूमि को न्यायालय में बंटवारा वाद लंबित होने के बावजूद उपर्युक्त भू संपति को जालसाजी कर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विरुद्ध जाकर याचिकाकर्तागण की 45 डिसमिल भूमि में से 9.5 डिसमिल भूमि को उपर्युक्त परमिशन वाद के जरिए छुपाकर एवं नाजायज तरीके से हासिल किया जिसे उपर्युक्त कानून का विरुद्ध होने के नाते आप श्रीमान न्यायालय

उपर्युक्त परमिशन को कानून एवं याचिकाकर्ता की भूमि की रक्षा करने हेतु रद्द करने की (Cancel करने की) कृपा करे जो पूरी तरह से उचित एवं न्याय योग्य है। यह कि यह याचिका याचिकाकर्तागण के द्वारा विपक्षीगणों के विरुद्ध धारा–46 की अनुमति को रद्द करने के लिए वास्तविकता और न्याय के हित में न्याय प्राप्त करने हेतु एवं CNT ACT का उल्लंघन को बचाने के लिए साथ ही साथ अपनी भूमि और मकान को बचाने के लिए जो याचिकाकर्तागण को अपने पूर्वज से प्राप्त हुआ है के लिए दायर की गई जो कि रेंट सूट डिप्टी कलेक्टर उप समाहर्ता रांची के न्यायालय में दिनांक 05.03.2020 को धारा 46 अनुमति होने के कारण जो विपक्षीगण के द्वारा तथ्यों को छुपा कर नोटिस को दबाकर जाली कागजात के आधार पर गलत तरीके से प्राप्त की गई है जिसका परमिशन वाद संख्या–2490R8II/2019-2020 है।

अपीलकर्त्ता इस न्यायालय से निवेदन करते है कि विपक्षीगणों के द्वारा किए गए कृत एवं गलत दस्तावेज के आधार पर धारा 46 का परमिशन प्राप्त किए हैं उसे न्याय हित में निरस्त करने की अपार कृपा करें जो इनके द्वारा दिनांक 05.03.2020 को 46 परमिशन वाद संख्या–2490R8II/2019-2020 माननीय न्यायालय उप समाहर्ता LRDC के न्यायालय से फर्जी दस्तावेज के आधार पर एवं बंटवारा वाद न्यायालय में लंबित होने के बावजूद तथ्यों को छुपाकर हासिल किया है जो पूरी तरह से निरस्त होने योग्य है इसे कृपा कर निरस्त करने की अपार कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष नोटिस के उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया एवं आवेदिका का पक्ष सुना। आवेदिका के आवेदन से स्पष्ट होत है कि परमिशन वाद सं0 2490R8II/2019–20 दिनांक–05.03.2020 निकोलस बेस वगैरह बनाम झारखण्ड सरकार में आदेश के पूर्व निम्न न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलकर्त्ता को नोटिस नहीं दिया गया न ही उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया। जबकि अपीलकर्त्ता खुद को संबंधित भूमि के मालिक बताते है। उक्त वाद में संबंधित पक्षों के द्वारा उपरोक्त आदेश में आवेदिका/अपीलकर्त्ता की सहमति नहीं ली गयी न ही उन्हें नोटिस प्रदान कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गयी।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय लगानवाद उप समाहर्त्ता, सदर रांची द्वारा परमिशन वाद सं0–2490R8II/2019–20 दिनांक–05.03.2020 निकोलस बेस वगैरह बनाम झारखण्ड सरकार में पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को प्रतिप्रेषित (Remand Back) किया जाता है। निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में नये सिरे से जांच कराकर, अपीलकर्त्ता एवं संबंधित सभी पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई के उपरांत विधि सम्मत आदेश पारित किया जाय। आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु लगानवाद उप समाहर्त्ता, सदर रांची को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

23/11/23

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

23/11/23

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

नहीं है।यह कि इस प्रकार याचिकाकर्तागण के वंशज जोसेफ उरांव एवं जोहन उरांव के द्वारा रकबा 90 डिसमिल में से 45 डिसमिल अपने हिस्से में प्राप्त भू–संपति पर शांतिपूर्ण तरीके से कायम व काबिज रहते हुए संपूर्ण 45 डिसमिल भूमि पर चारदीवारी कर एवं घर–बारी बनाकर रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन काल तक रहते हुए अपने उत्तराधिकारगण वर्तमान में याचिकाकर्ता गण अपने पूर्वज से प्राप्त भूमि मय मकान पर शांतिपूर्ण तरीके से रहते चले आ रहे हैं जबकि विपक्षीगण संख्या 1 से 4 पौलुस बेक (उरांव) के वंशज हैं और उनके हक व हिस्से में प्राप्त रकबा 45 डिसमिल को उनके वंशज द्वारा पूर्व में ही संत कुलदीप स्कूल को बिक्री किया जा चुका है। इस तरह विपक्षी गण संख्या–1 से 4 का याचिका कर्तागण की हक व हिस्से में प्राप्त भूमि पर हक या दावा दावी नहीं बनता है। यह कि याचिकाकर्ता गण के वंशज स्व0 जोसेफ बेक अपने पिता से प्राप्त संपति रकबा 45 डिसमिल भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से कायम व काबिज रहते हुए अपने पीछे अपने एकमात्र पुत्र जोहन बेक को छोड़कर स्वर्गवास कर गए एवं जोहन बेक भी उपर्युक्त भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से कायम व काबिज रहते हुए अपने पीछे तीन पुत्र जोसेफ बेक, एडवर्ड बेक एवं निर्दोष बेक को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। इस प्रकार ये तीनों अपने पिता से प्राप्त भूमि एवं संपति पर कायम व काबिज रहते हुए जोसेफ बेक भी अपने पीछे अपनी पत्नी मगदली बेक याचिकाकर्ता संख्या–1 एवं पुत्री शशि कंचन बेक, पुत्र विनीत सुमन बेक, पुत्र विक्टर लोरेंस बेक, याचिका कर्ता संख्या 2 है पुत्री पोली कथरीना बेक एवं एडवर्ड बेक याचिकाकर्ता संख्या–3 और स्व0 निर्दोष बेक जिसमें से निर्दोष बेक भी अपने पीछे अपनी पत्नी मरियम बेक को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। जो कि याचिकाकर्ता संख्या–4 है। यह कि विपक्षीगण संख्या–5 खीस्टीना तिर्की पति स्व0 जार्ज विलियम तिर्की याचिकाकर्ता गण की एक किराएदार है जो कि लोहरदगा जिल की रहने वाली है और विवाह के उपरांत 10–12 वर्ष पूर्व याचिककर्ता गण के घर पर अपने पति के साथ किराएदारनी के रुप में रहने लगी। विपक्षी संख्या–5 रांची जिले के अरगोड़ा थाने की निवासी कभी नहीं रही है। गलत कागजात एवं जाली प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता गण के धोखे से एवं छल से भूमि को हथियाने के लिए विपक्षी संख्या–1 से 4 के साथ मिलकर जाली एवं गलत दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्तागण को धोखे में रखकर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन कर उप समाहर्त्ता के कार्यालय से ग्रामीण नोटिस को छुपाकर याचिकाकर्ता गण की भूमि को परमिशन वाद संख्या–2490R8II/2019-2020 भूमि क्रय करने हेतु हासिल किया।यह कि याचिकाकर्तागण के द्वारा विपक्षी गण संख्या–1 से 4 एंव अन्य के विरुद्ध उपर्युक्त भू संपति एवं खाता संख्या–42 में अंकित अन्य प्लॉट में स्थित भूमि के संबंध में वर्ष 2016 में बंटवारा वाद मुनसफ न्यायालय सिविल कोर्ट रांची में दायर कर रखा है जिसका वाद संख्या– 487/2016 एवं वर्तमान में 716/2019 विपक्षीगण संख्या–1 से 4 एवं अन्य के विरुद्ध न्यायालय में लंबित है और न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमा लंबित रहने के दौरान विपक्षीगण संख्या–1 से 4 जानबुझ कर कोर्ट का अवमानना करते हुए केवल और केवल याचिकाकर्तागण के हक व हिस्से में प्राप्त भूमि को हड़पने छीनने एवं लुटने के नियत से बंटवारा वाद लंबित होने के बावजूद याचिका कर्तागण के किरायेदार विपक्षी संख्या– 5 के साथ मिली भगत कर जाली वंशावली के आधार पर निर्गत जाति आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर

की हक व हिस्से की एवं वर्षों से याचिकाकर्त्तागण के कबजे में भूमि एवं मकान है जिसे विपक्षीगण संख्या–1 से 4 के द्वारा विपक्षी संख्या–5 के नाम चुपके से छुपाकर नाजायज तरीके से बिक्रय 46 परमिशन के माध्यम से कर दिया। जब इसकी जानकारी याचिकाकर्त्तागण को हुई तो तुरंत ही याचिकाकर्त्तागण के द्वारा गलत तरीके से हासिल की गई 46 परमिषन को रद्द करने हेतु आप श्रीमान के न्यायालय में 46 परमिषन को रद्द करने हेतु उपुर्यक्त याचिका को दायर किया गया है। धारा 46 के अन्तर्गत दायर की गई अनुमति प्रमाण पत्र की छायाप्रति जिसका वाद संख्या– 2490 R8II/2019- 2020 विपक्षी संख्या–01 से 04 के द्वारा विपक्षी संख्या–5 को की गई परमिषन की प्रति इस लिखित बहरस के साथ संलग्न की जा रही है। जिसे संलग्न संख्या–1 माना जाए। उपर्युक्त जमीन का मौजा– हरमू, थाना– अरगोड़ा, थाना नं0– 206, जिला– रांची खाता नं0– 42, प्लॉट नं0– 610, रकबा– 90 डिसमिल खतियान में खतियानी रैयत पुनई उरांव के नाम से कायमी दर्ज है जो कि याचिका कर्तागण की खतियानी रैयत के पूर्वज थे । यह कि वंशावली के अनुसार खतियानी रैयत पुनई उरांव के दो पुत्र का वंशावली के अनुसार याचिकाकर्तागण स्व0 जोसेफ बेक, ऐलियस जोसेफ उरांव के वंशज हुए। जोसेफ बेक भी अपने पीछे एक मात्र पुत्र जोहन बेक एलियस जोहन उरांव को अपने पीछे छोड़कर स्वर्गवास कर गए एवं इस प्रकार जोहन उरांव भी उपर्युक्त भूसंपति जो अपने पिता के जीवनकाल में उन्हें रकबा 90 डीसमिल भूमि में से रकबा 45 डिसमिल भूमि प्राप्त हुआ था। उक्त जमीन पर जोत कोड़ खेती गृहस्थी करते हुए उपर्युक्त रकबा 90 डिसमिल आधा 45 डिसमिल भूमि प्राप्त में अपने जीवन काल में 45 डिसमिल संपूर्ण भूमि पर चारदीवारी एवं घर का निर्माण कर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहते हुए अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः जोसेफ बेक, एडवर्ड बेक एवं निर्दोश बेक को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। इस प्रकार जोसेफ बेक, एडवर्ड बेक, निर्दोश बेक अपने पिता से प्राप्त रकबा–45 डिसमिल भूमि में मकान मय भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से कायम व काबिज रहते हुए स्व0 जोसेफ बेक अपने पीछे दो पुत्री शशि कंचन बेक, पोली कथरीना बेक एवं दो पुत्र विनीत सुमन बेक, विक्टर लोरेन्स बेक तथा एक पत्नी मगदली बेक को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। याचिकाकर्ता एडवर्ड बेक एवं याचिकाकर्ता के स्व0 भाई स्व0 निर्दोष बेक अपने पीछे अपनी पत्नी मरियम बेक को छोड़कर स्वर्गवास कर गए। याचिकाकर्तागण पुनई उरांव के पुत्र स्व0 जोसेफ बेक के वंषज हुए एवं विपक्षीगण संख्या–1 से 4 पुनई उरांव के दूसरे पुत्र स्व0 पौलुस उरांव के पुत्र एवं पौत्र हुए। पुनई उरांव के दोनों पुत्र उनके द्वारा छोड़े गए संपति के बराबर–बराबर स्वामी एवं उत्तराधिकारी हुए याचिकाकर्तागण स्व0 जोसेफ उरांव के वंशज हुए एवं विपक्षीगण संख्या–1 से 4 पौलुस उरांव के वंशज हुए। पुनई उरांव के दोनों बेटों के बीच जीवन काल में जोसेफ उरांव एवं पौलुस उरांव के बीच आपसी सहमती के आधार पर उपर्युक्त भूमि का मौखिक बंटवारा उनके जीवन काल में ही हो चुका था। इस प्रकार खाता संख्या–42 प्लॉट नं0–610, रकबा 90 डिसमिल भूमि का आधा–आधा हिस्सा अर्थात 90 डिसमिल का 45 डिसमिल याचिकाकर्तागण की एवं 45 डिसमिल भूमि विपक्षी गण 1 से 4 की हुई।

विपक्षीगण के पूर्वज के द्वारा अपने हिस्से की 45 डिसमिल भूमि को वे लोग अपने जीवन काल में ही संत कुलदीप हाई स्कूल को बिक्रय कर चुके हैं। इस प्रकार अब बचे हुए रकबा 45 डिसमिल भूमि पर केवल

A.P. December 2023/49

ज्ञापांक : 218 (II) रा० दिनांक: 17/01/2024

प्रतिलिपि: उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, राँची को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर समाहर्त्ता
राँची।
17/01/2024

17/1/2024

Recd Sect 06/02/24

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:18:39 +05:30
Location: 192.168.2.175